

**I.G.N.O.U.**  
*Based*

**NEERAJ®**

# **B.P.S.E.-212**

**भारत में सरकार  
और राजनीति**

**(Government and  
Politics in India)**

*By: Dr. Subodh Jha*

***Question Bank cum Chapterwise Reference Book  
Including Many Solved Question Papers***



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

*(Publishers of Educational Books)*  
( An ISO 9001 : 2008 Certified Company )

Sales Office:  
1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi - 6  
Ph.: 011-23260329, 45704411,  
23244362, 23285501

E-mail: [info@neerajignoubooks.com](mailto:info@neerajignoubooks.com)  
Website: [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com)

**MRP ₹ 240/-**

**Published by:**

**NEERAJ PUBLICATIONS**

Sales Office : 1507, 1st Floor, Nai Sarak, Delhi-110 006

E-mail: [info@neerajignoubooks.com](mailto:info@neerajignoubooks.com)

Website: [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com)

**Reprint Edition with Updation of Sample Question Paper Only**

Typesetting by: *Competent Computers*

Printed at: *Novelty Printer*

**Notes:**

1. For the best & upto-date study & results, please prefer the recommended textbooks/study material only.
2. This book is just a Guide Book/Reference Book published by NEERAJ PUBLICATIONS based on the suggested syllabus by a particular Board /University.
3. The information and data etc. given in this Book are from the best of the data arranged by the Author, but for the complete and upto-date information and data etc. see the Govt. of India Publications/textbooks recommended by the Board/University.
4. Publisher is not responsible for any omission or error though every care has been taken while preparing, printing, composing and proof reading of the Book. As all the Composing, Printing, Publishing and Proof Reading etc. are done by Human only and chances of Human Error could not be denied. If any reader is not satisfied, then he is requested not to buy this book.
5. In case of any dispute whatsoever the maximum anybody can claim against NEERAJ PUBLICATIONS is just for the price of the Book.
6. If anyone finds any mistake or error in this Book, he is requested to inform the Publisher, so that the same could be rectified and he would be provided the rectified Book free of cost.
7. The number of questions in NEERAJ study materials are indicative of general scope and design of the question paper.
8. Question Paper and their answers given in this Book provide you just the approximate pattern of the actual paper and is prepared based on the memory only. However, the actual Question Paper might somewhat vary in its contents, distribution of marks and their level of difficulty.
9. Any type of ONLINE Sale/Resale of "NEERAJ BOOKS/NEERAJ IGNOU BOOKS" published by "NEERAJ PUBLICATIONS" on Websites, Web Portals, Online Shopping Sites, like Amazon, Flipkart, Ebay, Snapdeal, etc. is strictly not permitted without prior written permission from NEERAJ PUBLICATIONS. Any such online sale activity by an Individual, Company, Dealer, Bookseller, Book Trader or Distributor will be termed as ILLEGAL SALE of NEERAJ IGNOU BOOKS/NEERAJ BOOKS and will invite legal action against the offenders.
10. Subject to Delhi Jurisdiction only.

**© Reserved with the Publishers only.**

**Spl. Note:** This book or part thereof cannot be translated or reproduced in any form (except for review or criticism) without the written permission of the publishers.

**How to get Books by Post (V.P.P.)?**

If you want to Buy NEERAJ IGNOU BOOKS by Post (V.P.P.), then please order your complete requirement at our Website [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com). You may also avail the 'Special Discount Offers' prevailing at that Particular Time (Time of Your Order).

To have a look at the Details of the Course, Name of the Books, Printed Price & the Cover Pages (Titles) of our NEERAJ IGNOU BOOKS You may Visit/Surf our website [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com).

No Need To Pay In Advance, the Books Shall be Sent to you Through V.P.P. Post Parcel. All The Payment including the Price of the Books & the Postal Charges etc. are to be Paid to the Postman or to your Post Office at the time when You take the Delivery of the Books & they shall Pass the Value of the Goods to us by Charging some extra M.O. Charges.

We usually dispatch the books nearly within 4-5 days after we receive your order and it takes Nearly 5 days in the postal service to reach your Destination (In total it take atleast 10 days).



**NEERAJ PUBLICATIONS**

(Publishers of Educational Books)

( An ISO 9001 : 2008 Certified Company )

**1507, 1st Floor, NAI SARAK, DELHI - 110006**

**Ph. 011-23260329, 45704411, 23244362, 23285501**

E-mail: [info@neerajignoubooks.com](mailto:info@neerajignoubooks.com) Website: [www.neerajignoubooks.com](http://www.neerajignoubooks.com)

# CONTENTS

## भारत में सरकार और राजनीति ( Government and Politics in India )

### Question Bank – (Previous Year Solved Question Papers)

Question Paper—June, 2019 ( Solved )	1-7
Question Paper—December, 2018 ( Solved )	1-7
Question Paper—June, 2018 ( Solved )	1-9
Question Paper—December, 2017 ( Solved )	1-8
Question Paper—June, 2017 ( Solved )	1-7
Question Paper—December, 2016 ( Solved )	1-10
Question Paper—June, 2016 ( Solved )	1-10
Question Paper—December, 2015 ( Solved )	1-8
Question Paper—June, 2015 ( Solved )	1-6
Question Paper—June, 2014 ( Solved )	1-3
Question Paper—June, 2013 ( Solved )	1-4
Question Paper—June, 2012 ( Solved )	1-4
Question Paper—June, 2011 ( Solved )	1-4
Question Paper—June, 2010 ( Solved )	1-3

S.No.	Chapterwise Reference Book	Page
-------	----------------------------	------

### ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1. उपनिवेशवाद के परिणाम..... 1
2. भारतीय समाज की प्रतिक्रियाएँ..... 6
3. राष्ट्रीय आन्दोलन ..... 10
4. नए वर्गों का उदय..... 16

### भारतीय संविधान का दर्शन

5. भारतीय संविधान का निर्माण..... 19
6. प्रमुख अभिलक्षण..... 23

<i>S.No.</i>	<i>Chapter</i>	<i>Page</i>
7.	सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि.....	28
8.	अधिकार और नागरिकता .....	32
<b>संस्थागत संरचना</b>		
9.	एक संसदीय लोकतंत्र होने का अर्थ.....	35
10.	विधायिका.....	38
11.	कार्यपालिका.....	45
12.	न्यायपालिका.....	49
13.	भारत में नौकरशाही.....	54
<b>भारत में संघवाद</b>		
14.	भारतीय संघवाद की प्रकृति.....	58
15.	उत्तर-पूर्व, जम्मू और कश्मीर आदि के लिए विशेष प्रावधान.....	62
16.	भारतीय संघवाद में विवाद एवं सहयोग के विषय.....	65
17.	स्वायत्तता आंदोलन और भारत में राज्यों का पुनर्गठन.....	69
18.	स्थानीय स्वशासन संस्थाएँ : ग्रामीण एवं शहरी ढाँचा.....	72
<b>भारत में दलीय प्रणाली और निर्वाचन</b>		
19.	भारत में दलीय प्रणाली की प्रकृति.....	77
20.	राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय दल.....	83
21.	चुनाव.....	87
22.	भारत में जाति, वर्ग और राजनीति.....	90
23.	गठबंधन की राजनीति .....	93

**सामाजिक तथा राजनीतिक आंदोलन**

24.	महिलाएँ.....	98
25.	दलित.....	102
26.	आदिवासी.....	105
27.	पर्यावरण.....	108
28.	मजदूर और किसान.....	111

**भारतीय राज्य का संदर्भ**

29.	भूमंडलीकरण और उदारीकरण.....	115
30.	धर्मनिरपेक्षता और साम्प्रदायिक चुनौती.....	119
31.	समानता की खोज में लोकतंत्र.....	122
32.	भारतीय राजनीति में अपराध, दमन और आतंक.....	125



**Sample Preview  
of the  
Solved  
Sample Question  
Papers**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# QUESTION PAPER

(June – 2019)

(Solved)

## भारत में सरकार और राजनीति

समय : 3 घण्टे ]

[ अधिकतम अंक : 100

- नोट : (i) खण्ड-I—किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर दें।  
(ii) खण्ड-II—किन्हीं चार प्रश्नों के उत्तर दें।  
(iii) खण्ड-III—किन्हीं दो भागों के उत्तर दें।

### अनुभाग-I

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए—

प्रश्न 1. भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी की भूमिका का विश्लेषण कीजिए।

उत्तर—प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों को जो स्वराज्य की उम्मीद थी, वह मृग-मरीचिका साबित हुई, जिससे सम्पूर्ण देश में असंतोष की लहर फैल गई तथा देश में फैल रही राष्ट्रीयता की भावना एवं क्रान्तिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए 1919 में ब्रिटिश शासन ने रौलेट समिति के रिपोर्ट को कानून का रूप दे दिया, जिसके अन्तर्गत प्रशासन को किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने एवं बिना मुकदमा चलाए बन्दीगृह में डालने का अधिकार था। इसकी नेताओं द्वारा तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। महात्मा गांधी ने इसे स्वतंत्रता व न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल व अन्यायपूर्ण माना तथा उन्होंने इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की घोषणा की। इसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन ने अपने तृतीय चरण में प्रवेश किया, जिसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यद्यपि गांधी जी प्रारम्भ में राजभक्त थे और चम्पारन में उन्होंने नील किसानों की तिनकठिया पद्धति के खिलाफ भारत में सर्वप्रथम आंदोलन की शुरुआत की थी, जिसके परिणामस्वरूप चम्पारन में तिनकठिया पद्धति समाप्त करके नील उत्पादक किसानों को 25 प्रतिशत हर्जाना भी दिया गया था। लेकिन रौलेट एक्ट पारित किए जाने के बाद तथा खिलाफत के प्रश्न पर गांधी जी का अंग्रेजों की न्यायप्रियता से विश्वास समाप्त हो गया और ब्रिटिश हुकूमत का व्यवहार देखकर विवश होकर गांधी जी को असहयोग आंदोलन पर विचार करना पड़ा। सितम्बर, 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता में विशेष अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा तथा इसके कार्यक्रम के सम्बन्ध में कहा कि कांग्रेस के विचार से भारतीय जनता के समक्ष इसके

अतिरिक्त कोई चारा नहीं है कि वह प्रगतिशील एवं अहिंसात्मक असहयोग की नीति का पालन करे और उस समय तक करती रहे जब तक अन्यायों का पूर्णतः समाधान होकर स्वराज्य की स्थापना न हो जाए। दिसम्बर, 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन नागपुर में हुआ, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पुनः भारी बहुमत से पारित किया गया और अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित करके गांधी जी को शान्तिमय और अहिंसक आंदोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दिया गया।

असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव के अनुसार आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था। आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वदेशी वस्त्रों का उपयोग, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना, न्याय के लिए लोक अदालतों का गठन, बेरोजगारों एवं अर्द्धबेरोजगारों के मध्य 20 लाख चर्खों का वितरण। कांग्रेस में एक करोड़ स्वयंसेवकों की भर्ती, एक करोड़ रुपये के तिलक कोष की स्थापना प्रमुख थी। दूसरी ओर आंदोलन के नकारात्मक उद्देश्य के अन्तर्गत सरकारी वैतनिक एवं अवैतनिक पदों एवं उपाधियों का त्याग, स्थानीय वैतनिक संस्थाओं की सदस्यता से इस्तीफा, सरकारी उत्सवों एवं स्वागत समारोहों का बहिष्कार, सरकारी एवं अर्द्धसरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का त्याग, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार इत्यादि मुख्य थे। इस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए सत्याग्रह के सिद्धान्त को अपनाया गया। सत्याग्रह को स्पष्ट करते हुए गांधी जी ने कहा कि सत्य पर अटल रहना ही सत्याग्रह है। सत्याग्रह असत्य को सत्य से व हिंसा को अहिंसा से जीतने का नैतिक शस्त्र है। आंदोलन का प्रारम्भ गांधी जी ने अपनी 'केसरे हिन्द' की उपाधि त्याग कर दिया। फिर आंदोलन के विभिन्न पहलुओं पर अमल किया गया। अनेक लोगों ने अपनी उपाधियाँ छोड़ दीं एवं सरकारी संस्थाओं तथा अदालतों का बहिष्कार किया और अपना

समय राष्ट्रीय आंदोलन एवं देश सेवा में लगाया। आंदोलन के नेताओं द्वारा अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई। काशी विद्यापीठ, जामिया मिलिया इत्यादि विश्वविद्यालय इसी समय स्थापित किए गए थे।

विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार हेतु स्थान-स्थान पर दिए गए धरने, स्वदेशी वस्तुओं की लोकप्रियता इत्यादि कार्यों, असहयोग आंदोलन के दौरान जनक्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया। सरकार ने क्रूर दमन का आश्रय लिया, फिर भी नवम्बर, 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन के समय पूर्ण हड़ताल रखी गई, लेकिन 5 फरवरी, 1922 को चौरा-चौरी की, घटना से पूर्ण स्थिति बदल गई, क्योंकि 5 फरवरी को पुलिस के उकसावे में आकर क्रुद्ध भीड़ ने थाने में आग लगाकर 20 पुलिस वालों का जिन्दा जला दिया। इस घटना से प्रभावित होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। आंदोलन के इस तरह एकाएक स्थागित किए जाने की तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। लेकिन इस आंदोलन ने भारतीय जनता में निडरता, आत्मविश्वास व देशभक्ति का जुनून उत्पन्न किया। विश्व इतिहास में यह प्रथम अवसर था, जब नैतिक आदर्श एवं अहिंसात्मक संघर्ष से कोई राष्ट्र अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी गई।

**प्रश्न 2. मूल अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मध्य विभेद और इनके मध्य संबंध की व्याख्या कीजिए।**

उत्तर—संविधान के भाग तीन में व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास के लिए बहुत-से मूल अधिकार (कुछ अपवादों के अतिरिक्त) समाविष्ट किये गए हैं। ये न केवल कार्यपालिका बल्कि विधानमंडल की शक्तियों पर भी लगाई गई मर्यादाओं के रूप में हैं। यद्यपि इसका नमूना अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन भारत का संविधान उससे बहुत आगे जाता है। इन अधिकारों का अतिक्रमण नहीं हो सकता तथा किसी व्यक्ति को इससे वंचित करने वाले कानून या कार्यपालिका कार्य को उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यदि ये कानून या कार्यपालिका कार्य संविधान में ही बताए गए किन्हीं प्रतिबंधों के अन्तर्गत न आते हों, तो इन्हें अवैधानिक या अमान्य ठहराया जा सकता है, यानि मूल अधिकारों के प्रवर्तन का तंत्र तथा उसकी क्रियाविधि भी संविधान में निहित है। संविधान द्वारा नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से समाप्त कर सामान्य वैधिक अधिकार बना दिया गया है। वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार मूल अधिकार के रूप में प्राप्त हैं।

ये अधिकार आपात्काल को छोड़कर कभी निलंबित नहीं किए जा सकते तथा 44वें संविधान संशोधन के बाद आपात्काल के दौरान भी अनुच्छेद 20 एवं 21 निलंबित नहीं किए जा सकते हैं।

समानता के अधिकार के अन्तर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता तथा न्याय का समान संरक्षण प्राप्त होगा। राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग व जन्म-स्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य के अधीन पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में अवसर की समानता होगी, लेकिन राज्य पिछड़ी जातियों एवं वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रख सकता है। अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत या अस्पृश्यता का अन्त किया गया है तथा अनुच्छेद 18 द्वारा पदवियों या उपाधियों को खत्म किया गया है।

स्वतंत्रता के अधिकार द्वारा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सभा करने की स्वतंत्रता, संघ या संस्था बनाने, देश के किसी भाग में आने-जाने या बसने या कोई भी व्यवसाय, नौकरी या उद्योग लगाने की स्वतंत्रता है। तथा इसी अधिकार के अन्तर्गत अपराध की दोस सिद्धि के विषय में संरक्षण, बन्दीकरण की अवस्था में संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन की सुरक्षा से सम्बन्धित अधिकार प्रदान किया गया है।

शोषण के विरुद्ध अधिकार के अन्तर्गत दासता, स्त्रियों, पुरुषों या बालकों के क्रय-विक्रय, बेगारी एवं बाल-श्रम पर प्रतिबंध लगाया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को चाहे वे नागरिक हों या विदेशी अन्तःकरण की स्वतंत्रता व किसी भी धर्म को स्वीकार करने या प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है एवं सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक के साथ भारत को धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार के अन्तर्गत नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने के लिए शिक्षा प्राप्त करने तथा इनकी समृद्धि के लिए संस्थाएँ चलाने का अधिकार है।

संविधान के भाग 4 में शासन संचालन के लिए कुछ मूलभूत निदेशक सिद्धान्तों का वर्णन है। इसके अन्तर्गत केन्द्र व राज्य सरकारों का यह दायित्व है कि वे भारत की भावी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक नीति निश्चित करते समय या राज्य के संचालन व कानून निर्माण के समय इन्हें ध्यान में रखें। इन तत्त्वों में भारत को वास्तविक लोक-कल्याणकारी राज्य का स्वरूप देने के लिए आवश्यक सिद्धान्तों का उल्लेख है। यथा—आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्त्व, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी तत्त्व, न्याय, शिक्षा एवं प्रजातंत्र सम्बन्धी निदेशक तत्त्व, प्राचीन स्मारकों की रक्षा व पर्यावरण संबंधी निदेशक तत्त्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी निदेशक तत्त्व।

# **Sample Preview of The Chapter**

*Published by:*



**NEERAJ  
PUBLICATIONS**

[www.neerajbooks.com](http://www.neerajbooks.com)

# भारत में सरकार एवं राजनीति

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उपनिवेशवाद के परिणाम

1

मुख्य बिंदु

सामान्यतः उपनिवेशवाद का अर्थ है प्रगतिशील व शक्तिशाली राष्ट्रों द्वारा पिछड़े राष्ट्र या लोगों पर नियंत्रण या शासन। यह नियंत्रण या शासन प्रगतिशील राष्ट्र अपने स्वार्थों या हितों की वृद्धि के लिए करते हैं। पिछले दो-तीन सौ वर्षों का उपनिवेशवाद यूरोप में पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढाँचे की उत्पत्ति, उसके विकास एवं परिपक्वता से सम्बन्धित है। उपनिवेश प्राप्त करने की स्पष्टता यूरोप में औद्योगिक क्रान्ति का प्रत्यक्ष परिणाम माना जाता है। इसलिए उपनिवेशवाद को एक ऐसी संरचना माना जाता है, जिसके माध्यम से किसी देश का आर्थिक (एवं इसके परिणामस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक) शोषण व उत्पीड़न सम्पन्न होता है।

इस प्रकार उपनिवेशवाद की प्रकृति मुख्यतः इसकी आर्थिक शोषण की विभिन्न क्रियाओं से जानी जाती है। आर्थिक शोषण कुछ विशेष तरीकों से सम्पन्न होता है। दूसरे शब्दों में, एक उपनिवेश राष्ट्रीय उत्पादन की एक विशेष मात्रा का उत्पादन करता है, जिसमें कुछ भाग उस उपनिवेश के रख-रखाव और निर्वाह के लिए होता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक अधिशेष को विभिन्न तरीकों से हड़पा जाता है। इस अधिशेष को हड़पने का स्वरूप ही उपनिवेशवाद की प्रकृति निश्चित करने मदद में करता है तथा जैसे-जैसे हड़पने के स्वरूप में परिवर्तन आता है, वैसे-वैसे ही औपनिवेशिक नीति में भी परिवर्तन आता रहता है।

डॉ. सत्या राय ने अपनी पुस्तक “भारत में उपनिवेशवाद” के द्वारा यह स्पष्ट किया है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया थी, जो यूरोप के उन महानगरों द्वारा आरम्भ की गई, जहाँ व्यापारिक या औद्योगिक क्रान्ति पहले हुई थी तथा ब्रिटेन के सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक विकास के बदलते हुए प्रतिमानों ने भारत में ब्रिटिश शासन के स्वरूप के साथ-साथ उपनिवेशवाद और उनकी नीतियों में भी परिवर्तन किया। उनका मानना है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के स्वरूप में परिवर्तनों के मुख्य कारण ब्रिटिश समाज में परिवर्तन थे और इन परिवर्तनों ने काफी हद तक उपनिवेशवादी नीति को प्रभावित किया। उन्होंने उपनिवेशवाद सम्बन्धी विचार को स्पष्ट करते हुए माना है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद तीन चरणों से गुजरा।

**प्रथम चरण:** भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की स्थापना 18वीं सदी से माने जाते हैं। इस दौरान ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कम्पनी ने 1757 में भारत के उत्तर-पूर्वी प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था और कम्पनी ने व्यापारिक एकाधिकार के माध्यम से भारत की सम्पत्ति का अपहरण किया। उन्होंने ऐसे कार्य किए कि ब्रिटिश माल को न तो विदेशी और न ही भारतीय माल से प्रतियोगिता करनी पड़े। इसलिए उन्होंने अपनी शक्तिशाली नौसेना के द्वारा डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि यूरोपीय शक्ति को भारत से निकालने का प्रयास किया तथा अवध एवं बंगाल के शासकों की शक्ति समाप्त कर दी और बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली। इस चरण में प्रशासन, न्याय प्रणाली, यातायात, संचार, कृषि एवं औद्योगिक

2 / NEERAJ : भारत में सरकार एवं राजनीति

उत्पादन आदि क्षेत्रों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं किए गए। इसका उद्देश्य ब्रिटिश माल के लिए बाजार की तलाश नहीं था, बल्कि भारत में ऐसे सामान की आपूर्ति पर कब्जा करना था, जो यूरोप के देशों में आसानी से बिक सके अर्थात् ईस्ट इंडिया कम्पनी का इस समय मूल उद्देश्य था—अपनी वस्तुओं को अधिक से अधिक कीमत पर बेचना तथा भारत में उन वस्तुओं को कम से कम कीमत पर खरीदना, ताकि वह अधिकाधिक लाभ कमा सके। राजनीतिक शक्ति चूँकि कंपनी के पास थी अतः विनियम में पलड़ा भारी रखने के उद्देश्य से न्यूनतम कीमत पर अधिक माल हड़पने के लिए कई तरह के बल प्रयोग के तरीके अपनाए जाने लगे। व्यापार एवं लूट के मध्य विभाजन रेखा कमजोर पड़ने लगी। इस तरह भारत के माल एवं सम्पत्ति साधनों का शोषण होता रहा। भारतीय दस्तकारों और व्यापारियों पर नियंत्रण स्थापित करके कंपनी ने उनके उत्पादन एवं व्यापार को हानि पहुँचायी। फलतः राष्ट्रीय धन का एकमात्र स्रोत कृषि रह गया और अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहने लगी। कंपनी लगान की राशि प्रत्येक वर्ष न सिर्फ बढ़ाती रही, बल्कि लगान निर्दयतापूर्वक वसूल भी करती रही। साथ ही कंपनी लगान से प्राप्त धन के द्वारा भारत में व्यापारिक वस्तुएँ खरीदती और उसे यूरोप में बेचकर मुनाफे पर ध्यान देती थी। 1773 ई. के रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने कम्पनी के व्यापारिक हितों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया। बाद में एडम स्मिथ की पुस्तक “वेल्थ ऑफ नेशन्स” में व्यक्त विचारों के आधार पर 1813 ई. में ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया।

**द्वितीय चरण:** इस दौरान औद्योगिक पूंजीवाद की अवस्था में स्वतंत्र व्यापार पर आधारित उपनिवेशवाद का चरण प्रारम्भ हुआ। ब्रिटिश पूंजीपतियों व व्यापारियों को भारतीय बाजार में प्रवेश की छूट दी गई। कृषि व्यवस्था में परिवर्तन किए गए। जमींदारों और रैयतवाड़ी व्यवस्था के द्वारा लगान इकट्ठा करने के तरीकों में परिवर्तन किए गए। कर उगाहने, व्यापार मार्ग को सुरक्षित रखने एवं कानून व व्यवस्था पर ध्यान दिया गया। नई कानून संहिताएँ बनाने और नए कानून के अनुरूप न्याय करने के लिए न्यायालय स्थापित किए गए। प्रशासनिक व वैधानिक संरचना के लिए एक नया वर्ग तैयार किया गया। अंग्रेजी साहित्य व अंग्रेजी माध्यम से इतिहास आदि की शिक्षा की व्यवस्था की गई। आयात व निर्यात वृद्धि के उद्देश्य से रेलमार्ग, सड़कों एवं जहाजों के निर्माण व विकास पर ध्यान दिया गया। कृषि के विकास के लिए नहरों का विकास किया गया। ब्रिटिश शासन को सुदृढ़ बनाने के लिए तत्कालीन मानदण्डों के अनुसार काफी ऊँचे वेतन देकर उच्च प्रशासनिक एवं फौजी पदों पर हजारों अंग्रेजों को नियुक्त किया गया। अब कंपनी के

हिस्सेदारों के साथ-साथ अवकाशप्राप्त सैनिकों व नागरिक कर्मचारियों को पेंशन, ब्रिटिश व्यापारी व मालिक को लाभांश तथा भारत में लगाई गई ब्रिटिश पूंजी पर भी लाभांश आदि भारत से सीधी लूट के उदाहरण थे। इसके परिणामस्वरूप आम नागरिक की क्रय-शक्ति काफी कम हो गई तथा हथकरघा उद्योगों के विनाश, आंतरिक व्यापार से भारतीयों के निष्कासन लगान की भारी मात्रा एवं खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट व जमींदारों की लूट से भारत का आर्थिक विकास विदेशी शोषणकारी व्यवस्था का एक भाग मात्र बनकर रह गया। फलतः भारत जो विश्व में अपने समृद्धि के लिए जाना जाता था वहाँ गरीबी, बीमारी और अकाल का घर बन गया। 1857 ई. के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद का कंपनी के शासन से विश्वास उठ गया और 1858 के अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया।

**तृतीय चरण:** यह कहा जा सकता है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का तृतीय चरण 1860 ई. के बाद प्रारंभ हुआ और वह विश्व अर्थव्यवस्था और उसके अन्तर्गत ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की स्थिति में तीन प्रमुख परिवर्तनों का परिणाम था। पश्चिमी यूरोप के अन्य देशों एवं उत्तरी अमेरिका में क्रमशः औद्योगीकरण हुआ और ब्रिटेन का वित्तीय वर्चस्व समाप्त हो गया। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान ने शक्तिशाली उद्योग विकसित किए और वे अपने उत्पादों के लिए विदेशी बाजार ढूँढने लगे। इससे बाजारों के लिए विश्वव्यापी प्रतिद्वंद्विता की शुरुआत हुई। दूसरी ओर आंतरिक दृष्टिकोण से भारत के सम्पूर्ण सामाजिक ढाँचे पर ब्रिटिश उपनिवेशवाद के पूर्व के दो चरणों के विनाशकारी परिणाम सामने आने लगे।

इस तरह से यह ब्रिटेन और विश्व में महाजनी पूंजीवाद या आधुनिक साम्राज्यवाद का चरण था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारतीय राजस्व का उपयोग साम्राज्य के विस्तार व सुरक्षा के साथ साम्राज्य के दूसरे उपनिवेशों में ले जाने का उपाय ढूँढ लिए और इस अवस्था में भी भारत के अतिरिक्त धन के अपहरण व संचय को पूरा किया। भारत कच्चे माल एवं खद्योनों का स्रोत तथा ब्रिटेन में निर्मित वस्तुओं का बाजार बनकर पूर्णरूप से उपनिवेश बन गया।

ब्रिटिश शासन के आर्थिक आघात के इस चरण में भारतीय पूंजीपति वर्ग का जन्म हुआ, जिसने आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उपनिवेशवाद को कड़ी चुनौती दी। भारतीय हितों एवं सामाजिक-आर्थिक व राजनीतिक प्रगति तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के संघर्ष ने एक शक्तिशाली राष्ट्रीय आंदोलन का सृजन किया। भारतीयों की उपनिवेशविरोधी भावनाओं को कुचलने के लिए दमनकारी कानून एवं नीति का पालन किया गया। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट, ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट, यूनिवर्सिटी एक्ट आदि के द्वारा राष्ट्रवाद एवं स्वायत्त शासन को समाप्त करने के

प्रयास हुए। हिन्दुओं और मुसलमानों में वैमनस्य उत्पन्न करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया। फिर भी 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में विनम्र निवेदन से प्रारम्भ हुआ राष्ट्रीय आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध तक एक शक्तिशाली आंदोलन बन गया। आर्थिक तंत्र की साफ समझ विकसित होने से इसने जन-आंदोलन का रूप ले लिया तथा राष्ट्रीय आंदोलन ने धीरे-धीरे लोकतंत्र और स्वतंत्रता की एक ऐसी विचारधारा एवं संस्कृति विकसित करने में सफलता प्राप्त की, जो निरन्तर बढ़ते हुए भारत-विभाजन के साथ 1947 में स्वतंत्रता में परिणत हो गई।

ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने भारत में अन्य क्षेत्रों सहित आर्थिक क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन किया। इसने भारतीय समाज एवं उसकी अर्थव्यवस्था का विश्व पूंजीवादी व्यवस्था व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण किया। ब्रिटिश उद्योगों के अनुरूप उत्पादन का ढाँचा एवं अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-विभाजन भारत पर आरोपित किया। इसने भारत के उद्योग व व्यापार को समाप्त करके इसे आर्थिक दृष्टि से खोखला बना दिया। भारत ब्रिटेन के उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादक देश बन गया, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। अपने उपनिवेशवादी स्वार्थों की पूर्ति हेतु यातायात व संचार के साधनों का विकास किया। इन्होंने भारत की सम्पूर्ण आय व बचत को ब्रिटिश व्यापार एवं उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने में खर्च किया। फलतः लोगों में गरीबी, भूख व पिछड़ेपन में वृद्धि हुई। किन्तु इन्होंने नागरिक सेवा, न्यायिक पद्धति एवं आधुनिक सार्वजनिक शिक्षा, सामाजिक-राजनीतिक सुधार, नए विचार व नई जीवन-शैली से सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा दिया, जिसने राजनीतिक चेतना एवं राष्ट्रीयता के उदय में अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्रदान की।

### बोध-प्रश्न

**प्रश्न 1. 16वीं और 18वीं शताब्दी में उपनिवेशवाद में क्या नया था?**

उत्तर—16वीं सदी में अमेरिकी महादेश एवं नए समुद्री मार्ग की खोज के परिणामस्वरूप नगर-केन्द्रित अर्थव्यवस्था के स्थान पर राष्ट्र-केन्द्रित अर्थव्यवस्था का उदय हुआ। समुद्र पार के व्यापार में हिस्सा लेने के लिए अनेक देशों में नई-नई कम्पनियाँ स्थापित की गईं। ये कम्पनियाँ सरकार द्वारा संरक्षित व समर्थित थीं। ये अपने देश के औद्योगिक उत्पाद के विक्रय हेतु क्षेत्र विशेष में व्यापारिक एकाधिकार रखते थे। इससे एक कम्पनियों ने विश्व के विभिन्न हिस्सों में अपने आर्थिक प्रभुत्व के बल पर छोटे-छोटे हिस्सों पर राजनीतिक प्रभुत्व कायम कर लिया। इस प्रकार उपनिवेशवाद ने विश्व के कुछ देशों पर स्थायी रूप से शासन पद्धति एवं प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास किया और अनुचित व्यापार प्रक्रिया के

माध्यम से आर्थिक शोषण को प्रोत्साहन देकर उपनिवेशवाद को विकसित करने की ओर अग्रसर हुआ।

**प्रश्न 2. क्या आप उपनिवेशवाद की प्रमुख विशेषताओं को पहचान सकते हैं?**

उत्तर—उपनिवेशवाद एक ऐसी संरचना है, जिसके माध्यम से किसी देश में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक शोषण एवं उत्पीड़न सम्पन्न होता है। इसमें एक सीमित वर्ग द्वारा पूंजी एवं प्रौद्योगिकी का उपयोग करके किसी देश के आर्थिक अधिशेष को हड़पने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए जाते हैं। व्यापक स्तर पर वस्तुओं के उत्पादन तथा जहाँ से संभव हो, वहाँ से कच्चा माल प्राप्त करके अपने तैयार माल के बिक्री के लिए अपनी औपनिवेशिक नीतियों का सहारा लिया जाता है। खरीद-फरोख्त और मुनाफा कमाना, उत्पादन एवं पूंजी का संकेन्द्रण इनकी मुख्य विशेषता होती है। यथा-औद्योगिक क्रान्ति तथा रेलवे जैसे यातायात साधनों के विकास के बाद 19वीं सदी में भारत का उपयोग ब्रिटेन में बनी हुई औद्योगिक वस्तुओं के लिए मुख्य बाजार के रूप में किया गया।

**प्रश्न 3. भारत किस प्रकार लैटिन अमेरिका से उपनिवेश में अलग था?**

उत्तर—ब्रिटिश उपनिवेश का रूप भारत में लैटिन अमेरिका से भिन्न था, क्योंकि लैटिन अमेरिका में उपनिवेश विभिन्न दास श्रमिकों से समझौते के तहत बनाए गए थे, जबकि भारत में उपनिवेश स्वतंत्र रूप से नियुक्त श्रमिकों एवं किसानों के माध्यम से स्थापित किया गया। सन् 1757 ई. से ही अंग्रेजों ने भारत में अपने शासन का प्रयोग अपने स्वार्थों को साधने के लिए किया और इसके काफी बाद में लैटिन अमेरिका में, भले ही लैटिन अमेरिका भारत से काफी पहले जीत लिया गया था।

**प्रश्न 4. राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में ब्रिटिश ने कौन-कौन से उपाय शुरू किए?**

उत्तर—अंग्रेजों ने दो प्रमुख भू-राजस्व एवं भूधारण प्रणालियों को विकसित किया। जमींदारी व्यवस्था के अन्तर्गत पुराने इजारेदारों, राजस्व वसूल करने वालों तथा जमींदारों को निजी भूस्वामियों के रूप में बदल दिया गया। उन्हें भूमि के ऊपर निजी सम्पत्ति सम्बन्धी कुछ अधिकार प्रदान किए गए। भूमि के स्थायी बंदोबस्त के साथ रैयतवाड़ी एवं महलवाड़ी व्यवस्था देश के कुछ हिस्सों में लागू की गईं। जमीन की निजी मिलकियत के साथ-साथ व्यक्तिगत कर निर्धारण और कर अदायगी की प्रथा शुरू की गई। कर का आधार फसल न रहकर भूमि का टुकड़ा हो गया और किसानों से ऊँचा लगान वसूल किया जाता था।

**प्रश्न 5. किसानों के लिए इनका क्या परिणाम निकला?**

उत्तर—भू-राजस्व व्यवस्था के परिणामस्वरूप कृषक काशतकार जमींदारों की इच्छा पर आश्रित हो गए। उनसे बेरहमी से ऊँचा

4 / NEERAJ : भारत में सरकार एवं राजनीति

लगान वसूल किया जाता था तथा उन्हें गैर-कानूनी शुल्क व उपशुल्क देने एवं बेगार करने के लिए मजबूर किया जाता था। भू-राजस्व की ऊँची मांग और वसूल करने के तरीके में सख्ती ने किसान को महाजन से कर लेने को मजबूर हो गये। यानी लगान की दर, बाढ़ एवं अकाल, महाजन का ब्याज तथा कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने से किसानों की गरीबी बढ़ने लगी। धन के अभाव में धीरे-धीरे किसानों के हाथ से जमीन खिसकती गई और वे कालांतर में खेतिहर मजदूर बन गए।

**प्रश्न 6. भारतीय गरीबी को इतिहास में हम इसकी उत्पत्ति को कहाँ रख सकते हैं?**

**उत्तर**—भारत के शुरूआती राष्ट्रवादी नेताओं ने उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियों को भारत की गरीबी का बुनियावदी तत्त्व समझा। उन्होंने ब्रिटिश शासन के समूचे आर्थिक क्रियाकलाप की गहरी छानबीन की और औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों को भारत के आर्थिक विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा माना। वे लोग इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत की गरीबी को औपनिवेशिक शासन ने जन्म दिया है। उन्होंने माना कि अपने फायदे के लिए उपनिवेशवादियों ने विभिन्न प्रकार के करों, लूट-खसोट और व्यावसायिक हथकण्डों का इस्तेमाल करके भारत को गरीब बनाया है।

**प्रश्न 7. अंग्रेजों ने शोषण के तरीकों में बदलाव क्यों किया? उन्होंने कच्चे माल का निर्यात तथा तैयार वस्तुओं का आयात क्यों किया?**

**उत्तर**—ब्रिटिश शासन काल में कच्चे माल के निर्यात और तैयार वस्तुओं के आयात पर इसलिए बल दिया गया, क्योंकि उस समय ब्रिटेन में औद्योगीकरण पूरे जोरों पर था, इसलिए उन्हें सस्ते कच्चे माल एवं तैयार माल के लिए बाजार की आवश्यकता थी। फलतः भारत को ब्रिटेन में बने माल की एक बाजार और कच्चे माल भेजने वाले एक उपनिवेश की भूमिका में आना पड़ा। इससे एक संतुलित ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ऊपर उठकर भारत एक कृषिप्रधान देश बन गया। अब भारत को केवल उन फसलों को उगाने के लिए मजबूर किया जाने लगा, जिनकी ब्रिटेन के कारखानों व ब्रिटेन के लोगों को आवश्यकता थी। अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखकर सरकार के द्वारा इन कृषि उत्पादनों को बढ़ाने के लिए अग्रिम राशि भी दी गई तथा ब्रिटिश पूंजीपतियों द्वारा भारत में पूंजी निवेश के कारण चाय, कॉफी, रबर आदि की खेती पर बल दिया गया।

**प्रश्न 8. भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उन्होंने क्या किया?**

**उत्तर**—इस नीति के परिणामस्वरूप किसान सिर्फ उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करने लगे, जिनका देशी एवं विदेशी बाजार की दृष्टि

से मूल्य था। अपनी विशिष्टता के कारण कई स्थानों पर एक ही फसल उगायी जाने लगी; यथा—बंगाल में जूट, पंजाब में गेहूँ आदि, लेकिन इसने किसानों की गरीबी और अधिक बढ़ा दी, क्योंकि व्यापारी वर्ग खड़ी फसल को सस्ते दामों पर खरीद लेते थे और किसान अपनी फसल तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए मंडी में न ले जाकर खेत में ही बेच देते थे तथा कुछ दिन बाद वही फसल अधिक कीमत देकर खरीदते थे। किन्तु इसके बावजूद कृषि-नीति ने भारतीय गाँव को भारतीय अर्थव्यवस्था की एक इकाई बना दिया। बढ़ती हुई आर्थिक परेशानियों व यातायात के सुधार के कारण गाँव-गाँव एवं गाँव व शहर परस्पर जुड़ गए और उनमें आपसी सहयोग की स्थापना हुई। इस सहयोग से राजनीतिक चेतना का विकास हुआ और उन्होंने शोषणकारियों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। फिर भी अंग्रेजों ने ग्रामीण आत्मनिर्भरता को खत्म करके गाँव व शहर के बीच विनिमय प्रारंभ किया। राजकीय सामंती व्यवस्था को तोड़कर नए आर्थिक वर्ग को जन्म दिया। पुराने हस्त-उद्योग एवं कुटीर उद्योगों को नष्ट करके व्यापारिक दृष्टिकोण से उद्योग की शुरूआत की।

**प्रश्न 9. गैर-औद्योगीकरण का कृषि अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा?**

**उत्तर**—ब्रिटिश शासन काल में कृषि सम्बन्धों का एक नया ढाँचा विकसित हुआ, जो प्रतिगामी और कृषि विकास की दृष्टि से गतिरोधक था। यह एक ऐसा ढाँचा था जो न तो पूंजीवादी था और न ही सामंतवादी। अनेक लेखकों ने इसे अर्धसामंतवादी और अर्धऔपनिवेशिक काल की संज्ञा दी है। पुराना कृषि समाज बिखर गया और उसका स्थान लेने वाला समाज विकास-विरोधी था। नए कृषि-भूमि संबंधों ने कृषि में लगे किसी भी वर्ग को आधुनिक सुधार के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। भूस्वामियों और उच्च व धनी किसानों के पास न तो पूंजी थी और न ही अपनी पूंजी को कृषि में लगाने के लिए वे तैयार थे। एक धनी किसान जमीन की उन्नति में पूंजी लगाने के बनिस्पत भूमि खरीदना और पुरानी उत्पादन विधियों के आधार पर भू-स्वामी बनना अधिक पसंद करता था। दूसरी ओर छोटे किसान, रैयत और बंटाइदार भी कृषि में सुधार लाने की स्थिति में नहीं थे। देशी उद्योगों के विनाश और रोजगार के अन्य स्रोतों के अभाव ने लाखों दस्तकारों को कृषि क्षेत्र में आने और भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ाने के लिए मजबूर कर दिया। साथ ही औपनिवेशिक राज्य ने कृषि-आधारित उद्योगों को विकसित करने की बजाय ऐसे कदम उठाए जिनसे स्थानीय उद्योगों और अन्य व्यापारों के विकास में बाधा पड़ी, जिससे भारतीय बाजार में ही भारतीय वस्तुओं की बिक्री व साख कम हो गई तथा कृषि पर जनसंख्या के दबाव से भारत की गरीबी में वृद्धि हुई।